

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

(अनूपशहर रोड कासिमपुर मोड़, छेरत, अलीगढ़, पिन-202122, दूरभाष-0571-2960088)
पत्रांक 2624/14-1(44699/2020)दिनांक: अलीगढ़:मार्च: 13, 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

जनपद-हाथरस में नगला उम्मेद-नगला भुस मार्ग (अन्य जिला मार्ग) (पुराना हाथरस- आगरा मार्ग) किमी 0 03 (चैनेज-2.243) की बांयी पटरी खसरा संख्या-10 पर न्यू रिटेल आउटलेट सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.069777 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्ताव संख्या-एफ0पी0/यूपी0/एप्रोच/44699/2020

सन्दर्भ:-

1- उप सचिव, उ०प्र० शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-2 लखनऊ की पत्र सं०-1071/81-2-2023-800(69)/2022 दिनांक 20.02.2023, आपकी पृष्ठोंकन संख्या 2721/11-सी-एफ0पी0/यूपी0/एप्रोच/44699/2020 दिनांक 22.02.2023
2- प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस का पत्रांक-2631/35-1 दिनांक 25.02.2023

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ०प्र० शासन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, अनुभाग-2 लखनऊ के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस के सन्दर्भित पत्र से उपलब्ध कराया गया है, जो कि निम्नवत 03 प्रति में संलग्न सहित प्रेषित है:-

Sl.No.	Observation	Reply
1	विषयगत कार्योपरान्त स्वीकृति के प्रकरण में दोषी संस्था के विरुद्ध कृत कार्यवाही का विवरण दिया गया है, किन्तु दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण/प्रस्ताव नहीं दिया गया है। कृपया वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण/प्रस्ताव शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 29.01.2018 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत 04 बिन्दु की आख्या संलग्न है। (संलग्नक-1)

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भारद्वाजा,

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक-2624/दिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य प्रबन्धक(रिटेल सेल्स) इण्डियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, आपका मण्डल कार्यालय, आई०ओ०सी० भवन 65/2 संजय प्लेस आगरा-282002 उ०प्र० को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, हाथरस वन प्रभाग, हाथरस को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अदिति शर्मा)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।